



## समावेशी शिक्षा के प्रति वैचारिक एवं दार्शनिक सर्वव्यापकता का अध्ययन

**MAHALAKSHMI KUMARI**  
**RESEARCH SCHOLAR DEPARTMENT OF EDUCATION, SAI NATH UNIVERSITY RANCHI, JHARKHAND**

**DR. B.K CHOARASIA**  
**ASST.PROF. DEPARTMENT OF EDUCATION, SAI NATH UNIVERSITY RANCHI, JHARKHAND**

### सारांश

बच्चों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन कक्षा-कक्ष के विभिन्न क्रियाकलापों, विद्यालय के सह-शैक्षिक गतिविधियों, खेल के माध्यम से शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सतत् एवं व्यापक रूप से किया जा सकता है। इन सभी परिस्थितियों में बच्चे की योग्यता, कौशल, व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति की जाँच सतत् रूप से अध्यापक/अध्यापिका कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का आधार उच्च माध्यमिक स्तर के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यचर्या के अनुसार ही बच्चों में अपेक्षित कौशल, योग्यता, क्षमता का विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ इनका सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन करना है। शिक्षा समाज की प्रगति और विकास का आवश्यक अंग है। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था उस देश के राष्ट्रीय हितों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होती है। राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसकी भावी पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा में जो भी व्यवस्था लागू की जाए, समय-समय पर उसका मूल्यांकन भी आवश्यक है। बदलते समय और आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें बदलाव लाया जा सके। विद्यालय में मूल्यांकन के अन्तर्गत छात्रों के व्यक्तित्व के विकास सम्बन्धी लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए अर्थात् इसे अधिक व्यापक होना चाहिए।

**मुख्यशब्द—** शिक्षक, समावेशी शिक्षा, समाज की प्रगति और विकास, शिक्षा व्यवस्था

## प्रस्तावना

भारतीय समाज के छात्र वर्ग में विविध प्रकार की विषमताएँ एवं विशिष्टताएँ पायी जाती हैं। यह विशिष्टताएँ तथा विषमताएँ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। इन सभी तरह की विषमताओं को सामान्य करने व समाप्त करने में 'समावेशी शिक्षा' पर्याप्त योगदान कर सकती है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक प्राणी को उसका अधिकार मिल सकता है। शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आत्मानुभूति का दर्शन कर अपने शिक्षण कार्य के दायित्व को समझ सकते हैं।

सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य के रूप में जिन मुख्य बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है, वह है :-

1. बाल केन्द्रित, नियमित, व्यापक और प्रभावशाली आकलन व्यवस्था को अपनाना।

2. बच्चों में तनाव को कम करते हुए उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना।

3. कक्षा-कक्ष में आकलन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और सीखने का वातावरण निर्मित करने के साथ-साथ आकलन को एक सतत् प्रक्रिया के रूप में अपनाना।

4. सीखे गए की बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केन्द्रित करना। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सतत्ता में हैं।

## समावेशी शिक्षा :-

समावेशी शिक्षा से आशय सामान्य रूप से उस शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित है, जिसमें सामान्य छात्र एवं अक्षम छात्र एक ही कक्षा-कक्ष में एक-दूसरे का सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रकार की अक्षम छात्र एक साथ मिलकर सामान्य



# International Journal for Innovative Engineering and Management Research

PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL

[www.ijiemr.org](http://www.ijiemr.org)

छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे एक ओर अक्षम छात्रों को अपनी अक्षमता के प्रति हीन भावना का बोध नहीं होता क्योंकि वे सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य छात्रों को यह बोध होता है कि उनको अक्षम छात्रों की सहायता करनी चाहिए। इसके साथ-साथ समावेशी शिक्षा द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

समावेशी शिक्षा का स्वरूप समन्वय, सर्वाधिक व्यापक एवं व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है।

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना और उन बच्चों को भी शामिल करना है जो किसी भी प्रकार की असमर्थता रखते हैं। इसका अर्थ, ऐसी नीतियों और प्रयासों की रचना करना है, जो अधिक से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति की इच्छा को शान्त कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त हो सके, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि से सम्बन्ध रखते हों। यह

प्रयास करना भी इसका उद्देश्य है कि जो बालक एच.आई.वी./एड्स अथवा टी.बी. जैसी भयानक छूत की बीमारियों से ग्रसित है, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हो।

समावेशी शिक्षा का प्रमुख सम्बन्ध अक्षमताओं से युक्त छात्रों से है, जिनको विभिन्न प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार समावेशित शिक्षा विभिन्न संसाधनों का समन्वित रूप में प्रस्तुतीकरण है जो कि अक्षमता से युक्त छात्रों में अधिगम स्तर पर सुधार करती है। ऐसे छात्रों की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है जो सामान्य छात्रों से भिन्न है और यह शिक्षा उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बालक-बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास किया जाता है। समावेशी शिक्षा द्वारा एक समावेशी समाज की स्थापना का प्रयास किया जाता है जिसमें सभी को समान रूप से सम्मान व अधिकारों की प्राप्ति हो सकें।



गाँधी जी के अनुसार – “गुणवत्ता शिक्षा का महत्वपूर्ण पक्ष बच्चों के जीवन में उपयोगी माना जा सकता है। यह उपयोगिता उन क्रियाकलापों में देखी जा सकती है जिसमें बच्चे अपने और समाज के लिए उत्पादक कार्य में अपने आपको लगाकर उत्कृष्टता उदाहरण दे पाते हैं। गुणात्मक शिक्षा बच्चों में ऐसी दक्षताओं और क्षमताओं का विकास करती है जिनके द्वारा बच्चे आगामी जीवन में आने वाली चुनौतियों का धैर्यपूर्वक और कुशलता के साथ सामना कर पाते हैं। यह शिक्षा बच्चों में केवल लिखने, पढ़ने और अंक गणित की दक्षताओं का ही विकास नहीं करती बल्कि उन कौशलों और अनुभवों का भी विकास भी करती हैं जिनके द्वारा बालक आगे चलकर उचित समय पर उचित निर्णय लें सकें, मौलिक विचार रख सकें, दूरगामी परिणामों को ध्यान रखकर कार्य करें। इस प्रकार गुणवत्तापरक शिक्षा एक व्यक्ति को राष्ट्रोपयोगी एवं अच्छा मानव बनाती हैं।

## समावेशी शिक्षा के वैचारिक एवं दार्शनिक

1. प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है।

2. सीखने सिखाने के लिए समुचित वातावरण तैयार करने की आवश्यकता होती है।

3. सीखने की प्रक्रिया न केवल विद्यालय में वरन् विद्यालय के बाहर भी निरन्तर चलती रहती है। अतः सीखने सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए कि बच्चा सीखने की क्रिया में संलग्न हो जाये तथा समझ विकसित करे बताए इसके कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मात्र तथ्यों को रटता रहे।

4. स्कूलों को ऐसे बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिल सकें।

समावेशी शिक्षा को लागू करने में मनोवृत्ति, प्रशिक्षण का अभाव, संसाधन और प्रशासनिक



ढाँचा आदि बड़ी चुनौती बनकर उभरे है। समावेशी शिक्षा प्रारम्भिक तौर पर स्कूल संस्कृति नीतियों और व्यवहारों का नाम है जो स्थान विशेष के विविधतापूर्ण छात्रों से सीधी जुड़ी है। इसकी दृष्टि में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान प्राथमिकता नहीं है बल्कि यह शिक्षण की प्रक्रिया को मजबूती देने और बदलाव को स्वीकार करने में सक्षम बनाती है। समावेशी शिक्षा छात्रों को भागीदारी की निरन्तरता में सशक्त बनाने का अभियान है, जिसमें निःशक्त (दिव्यांग) बच्चे भी शामिल है। इस प्रक्रिया में विविध स्तरों पर काम किया जाना शामिल है जिसमें निःशक्त बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालय की कक्षा के शिक्षक अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में सुधार शामिल है।

## समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य :-

1. बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना।

2. विशिष्ट बच्चों को आत्म-निर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।

3. लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना।

4. जागरूकता की भावना का विकास करना।

5. बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना आदि।

6. समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित ना रह पाये।

7. समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चे को चाहे व शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें आंगनबाड़ी और स्कूली शिक्षा से किसी प्रकार से नहीं रोका जाएगा।

8. समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक विकलांगता और मानसिक रूप से अपंग बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को गैर शैक्षिक संस्थाओं को गैर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष



व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो।

9. इस शिक्षा के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे बच्चों के लिए, जो शहरों से दूर हैं, उनके लिए छात्रावास का प्रबन्ध करे।

### समावेशी शिक्षा की आवश्यकता :-

भारतीय संविधान में समता, स्वतन्त्रता सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है जिसका संकेत समावेशी शिक्षा की ओर ही है। समावेशीकरण या एकीकरण की एतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं परन्तु स्वतन्त्रता के बाद से भारत में हुए शैक्षिक व्यवस्था का विकास इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं और भिन्न सीमाओं के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के लिए उपकरण के रूप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बालकों की विद्यालयी शिक्षा में समावेशन एवं

उसकी क्रियाओं की व्यापक समझ की इस प्रकार आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय संस्कृति परिवेश और विस्तृत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति प्रक्रियाओं दोनों में ही सन्दर्भित करके समझा जाये क्योंकि हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर विभेद का निषेध करता है।

इस प्रकार हमारा संविधान एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत है जिसके परिवेक्ष्य में बच्चों के सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय लैंगिक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के अतिरिक्त एक सुगम स्वतन्त्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की विशेष आवश्यकता है जिससे कि लोकतांत्रिक विद्यालयों में बच्चों के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सजन किया जा सके, तभी समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हम सफल हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समाज की समावेशी शिक्षा की इतनी आवश्यकता क्यों है? इसके क्या कारण हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए कारण का जानना नितान्त आवश्यक हो



जाता है क्योंकि माना जाता है कि और एक प्रसि( कहावत भी है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, क्योंकि प्रत्येक आवश्यकता चाहे छोटी हो या बड़ी, उन्हें पूरा करने से पहले हमें कारणों को खोजना आवश्यक होता है। अतः समावेशी शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से है :-

1. प्रत्येक बालक स्वतः ही सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है।
2. समावेशी शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के साथ विद्यालयी गतिविधियों में अभिभावकों को भाग लने का पूरा प्रयास करती है जिससे अभिभावक और बच्चों में हीन भावना ना हो और दोनों ही प्रेरित हो।
3. शिक्षा का समावेशीकरण विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के बच्चों के साथ विद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करने से है ताकि उनमें किसी भी प्रकार का विभेद ना हो।
4. समावेशी शिक्षा से छात्रों में सामुदायिक भावना का विकास भी होता है जिससे

सम्बन्धित विचारों का भी कक्षा में आदान-प्रदान होता है।

5. नियमित रूप से कक्षा के अन्दर एक दृष्टतय सीखने का वातावरण प्रदान करता है।

6. शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा की अन्य प(तियों में भी बालकों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है लेकिन इस अधिकार की भावना सबसे अधिक इस शिक्षण प(ति में निहित है। इसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है।

### समावेशी शिक्षा का महत्व :-

बच्चों के सर्वांगीण विकास को दृष्टि में रखते हुए समावेशी शिक्षा वर्तमान समाज की एक अपरिहार आवश्यकता बन गई है। वैयक्तिक और पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्र विकास की दृष्टि से भी समावेशी शिक्षा आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है और इसका इसी दृष्टि से विशेष महत्व है। जैसे -

### राष्ट्र का विकास :-



राष्ट्र के विकास के लिए सभी नागरिकों के योगदान की सदैव आवश्यकता होती है क्योंकि देश की खुशहाली एवं संगठन के लिए विकास की अत्यन्त आवश्यकता है परन्तु नागरिकों की अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य की उपयुक्तता अनुभूति की एवं प्राप्ति के बिना किसी देश की एक बहुत बड़ी संख्या उसक नव-निर्माण में कैसे तथा कितनी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। यदि समावेशी शिक्षा से वंचित व्यक्तियों से राष्ट्र के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, उससे विकास की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। अतः समावेशी शिक्षा व्यक्ति के विकास के साथ राष्ट्र विकास के लिए उत्तम साधन है।

**समावेशी शिक्षा द्वारा शिक्षा की सर्वव्यापकता :-**

प्रत्येक बालक के गुणों के स्तरों का विस्तार आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए, तभी उच्च माध्यमिक स्तर शिक्षा को सार्वभौतिक बनाया जा सकता है।

समावेशी शिक्षा सार्वभौतिक शिक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों में योगदान देती है।

**समानता का भाव :-**

समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय समाज आदि में समानता का भाव पैदा होता है। संविधान में समानता का अधिकार की बात होती है तो इस समानता के सि(न्त का व्यक्तियों तथा समाज को तभी लाभ मिल सकता है, जब उन्हें कार्यन्वित किया जाए, इस दृष्टि से विद्यालय में सबसे उपयुक्त स्थान है जिसमें समावेशी शिक्षा का पूरा लाभ मिलता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें जाति, धर्म रंग, समुदाय, लिंग, शारीरिक और मानसिक गुणों की विभिन्नता के कारण कोई बालक सशिक्ष ग्रहण करने से वंचित नहीं रह सकता।

**एकीकरण के कारण प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है :-**

समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किये जाते हैं अर्थात् उच्चारण अधिक होता है। अतः सामान्य और विशिष्ट



बालकों में सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत एक प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है। ऐसे वातावरण से वे अपने सहपाठियों से सीखना स्वीकार करना तथा स्वयं को भी दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही सम्भव है, साथ ही साथ बच्चों में उपयुक्तता की भावना के साथ भावनात्मक समायोजन का भी विकास होता है।

## समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ :-

समावेशी शिक्षा की दो प्रमुख संस्थाएँ हैं – परिवार तथा शिक्षण- प्रशिक्षण संस्थान। ये दोनों ही संस्थाएँ बच्चे के समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पारिवारिक तथा शैक्षिक तंत्र स्तर पर समावेशन के क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं :-

## पारिवारिक स्तर पर चुनौतियाँ :-

बच्चे के समावेशन की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से होकर गुजरता है। यदि परिवार के निर्णयों में

सहभागिता है, सभी को सहमति, असहमति के समान अवसर हैं तो बच्चे को समावेशन के बारे में मजबूत सकारात्मक अनुभव होंगे, इसके विपरीत होने पर नकारात्मक। पारिवारिक स्तर पर समावेशन के क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं :-

## 1. लिंग भेदभाव :-

आज भी अनेक परिवारों में खान-पान, शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति आदि के बारे में निर्णय एवं सहभागिता में लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, जो समावेशन में एक बाधक कारक है।

## 2. शारीरिक, मानसिक चुनौती वालों के प्रति दृष्टिकोण :-

परिवार में या आस-पास विशेष शारीरिक-मानसिक चुनौती वाले बच्चों के प्रति परिवार का नकारात्मक दृष्टिकोण, समावेशन की एक प्रमुख चुनौती है।

## 3. सामाजिक-आर्थिक वंचित वर्ग के प्रति नजरिया :-



आज भी उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले परिवारों में, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के बच्चों के प्रति हेयभाव ;घृणित दृष्टिपूर्ण व्यवहारद्ध अपनाया जाता है। कक्षा में ऐसे उच्च वर्ग के बच्चे, निम्न वर्ग के बच्चों को हीनता की दृष्टि से देखते है, जो कि समावेशन में एक बाधक कारक है।

#### 4. अति संरक्षण एवं अस्वीकरण :-

परिवार में दिव्यांग बच्चों के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण अति संरक्षण का होता है, जिससे ये बच्चे हमेशा आश्रित बने रहते हैं, साथ ही उन्हें समाज में सामान्य बच्चों की तरह स्वीकरण भी नहीं मिलता, जिससे न केवल उनमें हीनता की भावना आती है, उनका विकास भी अवरू( होता है।

#### शैक्षिक संस्थानों के स्तर पर चुनौतियाँ :-

परिवार के बाद बच्चा जिस लघु समाज से परिचित होता है, वह है – उसका शिक्षण संस्थान, जिसका बच्चे के समावेशन में अत्यधिक योगदान होता है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अनेक प्रावधानों के बावजूद

भी शिक्षण संस्थान समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं को समावेशी शिक्षा के प्रसार में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे निम्न प्रकार से हैं :-

#### 1. प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव :-

विविधतापूर्ण कक्षा में अध्यापन कराना, स्वयं में एक मुश्किल कार्य है, जिसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों का होना आवश्यक है। हमारे देश में अभी भी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है।

#### 2. भौतिक संसाधनों की कमी :-

एक सामान्य स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रेल उपकरण, विशिष्ट फर्नीचर, विद्यालय भवन की बनावट, पानी, टॉयलेट की विशिष्ट सुविधा, विशिष्ट शिक्षण उपकरण आदि। आज भी हमारे अधिकांश विद्यालयों में इनका अभाव देखने को मिलता है।

#### 3. अनुपयुक्त पाठ्यचर्या :-



हमारे विद्यालय/विश्व विद्यालय में लागू पाठ्यक्रम इस प्रकार है जो समरूप से विशिष्ट तथा सामान्य बालकों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता, जो कि समावेशन में एक प्रमुख बाधा है।

#### 4. दोषपूर्ण प्रवेश नीति :-

प्रायः यह देखा जाता है कि उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आज भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपने वहाँ प्रवेश नहीं देते है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रत्यक्षतः उल्लंघन है। इस वजह से भी विद्यार्थियों का समावेशन नहीं हो पा रहा है।

#### 5. विशिष्ट बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण :-

अनेक शिक्षक तथा प्रशासक विशिष्ट बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करते, उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ समावेशित नहीं हो पाते।

#### प्रशासनिक स्तर पर चुनौतियाँ :-

हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक योजनाएँ बन रही हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन सही रूप में नहीं होने से उनका लाभ बच्चों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं :-

#### 1. प्रशासनिक भ्रष्टाचार :-

विद्यालयों, विश्व विद्यालयों में विशिष्ट बच्चों की शिक्षा हेतु उन्हें समुचित सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु समय-समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाता है लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह उन बच्चों तक बहुत कम पहुँच पाता है। फलतः उनको समुचित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती।

#### 2. योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होना :-

विशिष्ट बच्चों के लिए समावेशन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ कागजों में ही चल रही हैं। इन कार्यक्रमों की जाँच के लिए टीम



भी गठित होती हैं किन्तु उनकी गलत रिपोर्ट के कारण, बच्चों का पूर्णरूपेण अहित हो रहा है, जिसे राष्ट्रीयक्षति कहना उपयुक्त होगा।

इस प्रकार हम देख रहे हैं कि समावेशी शिक्षा वर्तमान में अनेक चुनातियों से जूझ रही है, जिनका समाधान किये बिना समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः आज आवश्यकता है कि हम पारिवारिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक स्तर पर ऐसे विशिष्ट उपाय अपनाएँ, जिससे समावेशी शिक्षा की चुनौतियों का समाधान हो सके तथा समावेशी समाज का विकास हो।

## समावेशी शिक्षा के विकास हेतु सुझाव :-

1. समावेशी शिक्षा का प्रारम्भ परिवार से होता है। माता-पिता को विशिष्ट तथा सामान्य बच्चों में बिना भेदभाव समान व्यवहार करना चाहिए, साथ ही दिव्यांग बच्चों के प्रति, चाहे वे अपने हो या दूसरों के, एक स्वच्छ नजरिया रखना चाहिए, ताकि बच्चे समावेशन की सीख प्राप्त कर सकें।

2. प्रत्येक शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि विविधतापूर्ण कक्षा कक्ष में अधिगम सुनिश्चित हो सकें।

3. सरकार की योजनाओं, उपलब्ध करवाये जा रहे वित्त का समुचित लाभ बच्चों को मिल सके, इसके प्रशासनिक स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कठोर कदम उठाने होंगे तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी।

4. जो शिक्षण संस्था अपने यहाँ दिव्यांग बच्चों, वंचित बच्चों या पिछड़े बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

5. दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए भाषा भी एक विशिष्ट समस्या होती है। अतः इसके लिए बहुभाषी शिक्षक की नियुक्ति या समय-समय पर उनकी क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को बुलाकर अध्यापन करवाया जाना चाहिए।



6. अन्ततः सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना होगा, विशिष्ट बच्चों के प्रति अपना नकारात्मक रवैया बदलना होगा, हमें उन पर दया नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें अवसर उपलब्ध करवाने होंगे, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें।

## निष्कर्ष

विद्यालय में मूल्यांकन के अन्तर्गत छात्रों के व्यक्तित्व के विकास सम्बन्धी लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए अर्थात् इसे अधिक व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया और छात्रों की क्षमता और उन कमियों को बार-बार बताता है, ताकि उन्हें अपने आपको समझने और सुधारने का बेहतर अवसर मिलता रहे। यह शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराता है ताकि वे अपने शिक्षण सम्बन्धी कार्य नीतियों में सुधार कर सकें। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का

उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने-सिखाने, ज्ञान की संरचना करने, अवधारणाओं तथा विधियों की समझ बनाने व अपने तरीके से उपयोग करके अपने अधिगम-अनुभव को प्रभावी व स्थायी बनाना है। सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। स्कूल और कक्षाओं में पढ़ने-पढ़ाने के तरीके बच्चों की अन्तर्निहित क्षमताओं को उभारें और उनमें अपना ज्ञान-निर्माण स्वयं करने की क्षमता विकसित हो। इस प्रकार सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया वास्तव में व्यापक गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया ही है। इस सीखने-सिखाने की विधा एवं विद्यार्थी के स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था के रूप में ही समझा जाए, जिसमें विद्यार्थी के सीखने के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

कपिल, डॉ. एच.के. (2009) : "सांख्यिकी के मूल तत्व", अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा-2



# International Journal for Innovative Engineering and Management Research

PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL

www.ijiemr.org

कोल, लोकेश (2008) : “शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ”, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

एल.कौमी, टी.एस.ए.के. (2009) : द इफैक्ट ऑफ क्लासरूम परफोरमेंस एसेसमेंट ऑफ इ.एफ.एल. स्टूडेंट्स बेसिक एण्ड रीडिंग स्कूल (ERIC डोक्यूमेंट नं. ED514530) : रीटीव्ड ऑफ 19 नवम्बर, 2015, क्राम EIC डाटाबेस

एल. डॉ. इंदिरा एवं डागर, डॉ. बी.एस. (2009) : “शिक्षण एवं अधिगम का मनोविज्ञान”, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ

लैनकास्टर, जे.सी. वैन (2007) : “द डिजाईन ऑफ इन्क्लूसिव एज्यूकेशन कोर्सेज एण्ड द सेल्फ-एफीकेसी ऑफ प्रीसरवीर टीचर एज्यूकेशन स्टूडेंट्स”, इन इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ डिसएबिलिटी डवलपमेंट एण्ड एज्यूकेशन, 54;2), 2007, 245–256

मोहम्मद, आर. (2015) : सी.सी.ई. इम्प्लीमेंटेशन इन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन तेलंगाना, रिट्रीव्ड 17/05/2022

[http://www.teacher.com\(2015\)/05re-419cce.html](http://www.teacher.com(2015)/05re-419cce.html)

मिश्रा, डॉ. महेन्द्र कुमार (2008) : “विकासात्मक मनोविज्ञान”, यूनिवर्सिटी बुक हाऊस ;प्रा.द्ध लि. जयपुर – 3

मुखर्जी, डॉ. के. (2008) : “शिक्षा मनोविज्ञान”, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा–7

मैकनैली, आर. कोल., पी.जी. एण्ड वाग, आर. (2001) : रैगुलर टीचर्स एटीट्यूड टू द नीड फॉर एडीशनल स्पॉर्ट फॉर द इनक्लूसन ऑफ स्टूडेंट्स विद इंटेलैक्टुअल डिसएबिलिटी, Vol 26, No. 3, P 257-273